



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 217 राँची, शुक्रवार, 23 चैत्र, 1946 (श०)
12 अप्रैल, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

20 अक्टूबर, 2023

संचिका सं०-04/स०भू० (लोह०)-81/2022-3557--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**05.10.2023** में मद संख्या-**33** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में लोहरदगा जिलान्तर्गत अंचल-कुडू एवं भण्डरा के विभिन्न मौजा, थाना, खाता एवं प्लॉटों में अन्तर्निहित कुल रकबा-**151.76** एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार की भूमि किस्म जंगल-झाड़ी/जंगल/सालबाग जंगल (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक।)

भूमि विभागीय संकल्प संख्या-**4306/रा०**, दिनांक-**24.10.14** एवं संकल्प संख्या-**5888/रा०**, दिनांक-**10.11.16** के आलोक में भूमि के कृषि दर के आधार पर संगणित सलामी की राशि **4,62,08,788/-** (चार करोड़ बासठ लाख आठ हजार सात सौ अठासी) रुपये मात्र एवं सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक लगान की राशि **23,10,439.40/-** (तेईस लाख दस हजार चार सौ उनचालीस रुपये एवं चालीस पैसे), लगान का पूँजीकृत मूल्य **5,77,60,985/-** (पाँच करोड़ सतहत्तर लाख साठ हजार नौ सौ पचासी) तथा सेस का पूँजीकृत मूल्य **8,37,53,428.26/-** (आठ करोड़ सैंतीस लाख तिरपन हजार चार सौ अठाईस रुपये एवं छब्बीस पैसे), प्रस्तावित भूमि पर अवस्थित वृक्षादि की मूल्यांकित राशि **6,22,05,608/-** (छः करोड़ बाईस लाख पाँच हजार छः सौ आठ) रुपये अर्थात् कुल देय राशि **24,99,28,809.26/-** (चौबीस करोड़ निन्यानवे लाख अठाईस हजार आठ सौ नौ रुपये छब्बीस पैसे) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) **M/s ESL Steel Ltd.** द्वारा भुगतान के आधार पर **M/s ESL Steel Ltd.** के स्टील प्लान्ट सियालजोरी परियोजना के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड के पक्ष में सःशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा **12** माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- ii. उपायुक्त, लोहरदगा प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iii. उपायुक्त, लोहरदगा अधियाची कम्पनी का मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील लि० से **M/s ESL Steel Ltd.** नाम परिवर्तन संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही भूहस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iv. उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/रा०**, दिनांक-**24.10.2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा

करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त लोहरदगा यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

- v. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- vi. यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि की हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- vii. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/रा0**, दिनांक-**24.10.2014**, इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नक- I
प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र0	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	गैरमजरूआ खास भूमि की किस्म
1	02/2018-19	कुइ	सलगी	05	352	381	7.67	जंगल झाड़ी
कुल							7.67	
2	01/2018-19	भण्डरा	उदरंगी	183	221	546	16.82	जंगल
						1610	16.46	जंगल
कुल							33.28	
3	02/2018-19	भण्डरा	मसमानो	179	426	2689	10.22	साल बाग जंगल
						2692	8.20	साल बाग जंगल
						2694	27.80	साल बाग जंगल
						2771	7.05	साल बाग जंगल
						2677	11.02	साल बाग जंगल
						2678	8.10	साल बाग जंगल
कुल							72.39	
4	03/2018-19	भण्डरा	बेदाल	181	332	715	38.42	साल बाग जंगल
कुल							38.42	
कुल योग							151.76	

अनुलग्नक-II

क्र0	अभिलेख संख्या	रकबा (एकड़ में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी (रूपये में)	सलामी का 5% वार्षिक व्यावसायिक लगान (रूपये में)	लगान का पूँजीकृत मूल्य (लगान X 25) (रूपये में)	सेस का पूँजीकृत मूल्य (पूँजीकृत लगान का 145%) (रूपये में)	अवस्थित वृक्षों का मूल्य	कुल देय राशि (5+7+8+9) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/2018-19	7.67	308900	2369263	118463.15	2961578.75	4294289.19	1965129.00	11590259.94
2	01/2018-19	33.28	312900	10413312	520665.60	13016640.00	18874128.00	12939397.00	55243477.00
3	02/2018-19	72.39	292500	21174075	1058703.75	26467593.75	38378010.94	37430292.00	123449971.69
4	03/2018-19	38.42	318900	12252138	612606.90	15315172.50	22207000.13	9870790.00	59645100.63
	कुल	151.76		46208788	2310439.4	57760985	83753428.26	62205608	249928809.26

प्रस्तावित भूमि का मूल्य गणना विवरणी :-

अर्थात् कुल देय राशि 24,99,28,809.26/- (चौबीस करोड़ निन्यानवे लाख अठाईस हजार आठ सौ नौ रूपये एवं छब्बीस पैसे) रूपये मात्र ।

सरकार के अपर सचिव ।
